उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 737/XXvii(7)/2010
देहरादून, दिनांकः 27 अक्टूबर, 2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में संशोधन।

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्याः–सा–4–392/दस–99–203–86 दिनांक 4 जुलाई,1999 द्वारा कुल उपार्जित अवकाश 300 दिन निर्धारित किया गया है ।

2– इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के कार्मिक 300 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित करने के पश्चात् भी अनुवर्ती वर्ष में 01 जनवरी एवं 01 जुलाई को क्रमशः16 दिन और 15 दिन के उपार्जित अवकाश का प्रथम छमाही के अंतिम माह 30 जून एवं द्वितीय छमाही के अंतिम माह 31 दिसम्बर, तक उपभोग कर सकते है। उक्त अर्जित किये गये अवकाश को पूर्व में अर्जित कुल 300 दिनों के अवकाश में से घटाया नहीं जाएगा। कलैण्डर वर्ष के 01 जनवरी से 30 जून तथा 01 जुलाई से 31 दिसम्बर तक अनुमन्य 16 दिन एवं 15 दिन के उपार्जित अवकाश का उपभोग संबंधित छमाही में न करने पर उसे अग्रेनीत नहीं किया जाएगा अर्थात्त प्रत्येक छः माह में माहवार अर्जित अवकाश का उपभोग संगत छमाही में ही किया जा सकेगा।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।
3. संबंधित अवकाश नियमों मे आवश्यक संशोधन यथा समय पृथक से किया जाएगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त

संख्या : 737 (1) / XXVII(7) / 2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराण्ड।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. सचिव,राज्य सम्पत्ति विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
12. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
13. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।